रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 1987/चैत्र 25, 1909
No. 182] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 1987/CHAITRA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. आ. 390 (अ) :—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 1 उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1987 के पन्द्रहवें दिन को उस तारीख के

रूप में नियत करती है, जब से उक्त अधिनियम के अध्याय I, II और IV, जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय, सम्पूर्ण भारत में प्रवृत्त होंगे ।

[मिसिल सं. 9/4/87-सी. पी. यू.]

वी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies)

New Delhi, the 15th April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 590(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby appoints the 15th day of April, 1987 as the date on which the provisions of Chapters I, II and IV of the said Act shall come into force in the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.

[File No. 9|4|87-CPU]

B. K. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987